रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1973/श्रावण 22, 1895
No. 282] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1973/SRAVANA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1973

S.O. 434(E).—WHEREAS by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S. O. 3626/IDRA/18A/69, dated the 6th September, 1969, read with the order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S. O. 3271, dated the 3rd September, 1971, the management of the undertaking known as Ahmedabad New Textile Mills Co. Ltd., Ahmedabad had been taken over by the Authorised Controller referred to in the order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 5th September, 1973 ;

AND WHEREAS the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one year ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 5th September, 1974.

[No. F. 28013/78/73-Tex (G)].

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1973

का० आ० 434(अ)——यत: भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3271, तारीख 3 सितम्बर, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 3626/आई डी आर ए/18ए/69, तारीख 6 सितम्बर, 1969 द्वारा अहमदाबाद न्यूटेक्सटाइल मिल्स कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद नामक उपक्रम का प्रबन्ध ऊपर द्वितीय उल्लिखित आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 5 सितम्बर, 1973 तक, जिस में यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए, ग्रहण कर लिया गया है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त उपक्रम का प्रबन्धक उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए ;

अत: अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि ऊपर द्वितीय उल्लिखित आदेश 5 सितम्बर, 1974 तक, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 28013/78/73—टेक्स (जी)]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973